मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण
आवश्यक / महत्वपूर्ण
संख्या– 712 / 60–1–2013–1 / 13(122) / 13

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय,
उत्तर प्रदेश शासन।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक : 31 मार्च, 2014

विषय– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मा0 न्यायाधीश श्री अमर सरन, मा0 न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार सक्सेना एवं मा0 न्यायाधीश श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा सम्प्रेक्षण गृहों / संरक्षण गृहों के संचालन में उठाए गए बिन्दु के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मा0 न्यायाधीश श्री अमर सरन, मा0 न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार सक्सेना एवं मा0 न्यायाधीश श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 20–02–2014 को खण्डपीठ लखनऊ के वीडियो सभागार में प्रदेश में संचालित सम्प्रेक्षण गृह एवं संरक्षण गृहों के संचालन पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी कार्यवृत्ति पत्र के साथ संलग्न है।

2– उपरोक्त बैठक में प्रदेश के सम्प्रेक्षण गृहों में निरूद्ध विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोरों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तथा उनकी जांच अभी तक पूर्ण नहीं है अथवा पूर्ण होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उक्त किशोर कारित अपराध में शामिल रहा है, को अन्य निरूद्ध किशोरों से पृथक रखने की व्यवस्था देने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में पूर्व में भी मा0 न्यायमूर्ति श्री अमर सरन द्वारा विभाग से 18 वर्ष से अधिक आयु के निरूद्ध किशोरों को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के संबध में कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी। (मा0 उच्च न्यायालय के पत्र सं0 17696/main-B/Admin(A-3) दिनांक 21–12–2013 की प्रति संलग्न है) ।

3– उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्व में भी शासन द्वारा पत्र सं0 6051 / 60–1–2013 / 13(122) / 13 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 को अनुरोध किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न)

4– मा0 न्यायमूर्तिगण द्वारा आयोजित उपरोक्त समीक्षा बैठक दिनांक 20–02–2014 को इस संबंध में यह भी विचार किया गया कि उपरोक्त प्रकार के निरूद्ध किशोर की निरूद्धन अवधि 03 से कम है और वे वयस्क हो चुके हैं तो उन्हें कारागार के ऐसे बैरक में स्थानान्तरित किया जाय, जहॉ पर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वासन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो। समस्त कारागारों में 18 वर्ष से 21 वर्ष की अल्पवयस्क आरोपियों को रखने के लिए अल्पवयस्क कारागार संचालित रहती

.....2

है। वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निरूद्ध वयस्क किशोरों को अल्पवयस्क कारागार में स्थानान्तरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही के लिए समस्त जनपदों के मा0 जनपद न्यायाधीश के माध्यम से प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड को अपने स्तर से दिशा निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मा0 मुख्य न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में गठित किशोर न्याय समिति की समीक्षा बैठक दिनांक 09–04–2014 को आयोजित की गयी है, जिसमें उपरोक्त विषय पर अनुपालन से मा0 न्यायमूर्तिगणों को अवगत कराया जाना है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव।

संख्या–712 (1)/60–1–2013 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, गृह(कारागार), उत्तर प्रदेश शासन।
2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ।
3– संयुक्त निबंधक (सेवायें) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4– महानिरीक्षक, कारागार, पंचम् तल, विकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
5– निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।